

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या — 1614 / 2013 / अजमेर

मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, बांगड़नगर, ब्यावर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर अजमेर.

2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या — 1843 / 2013 / अजमेर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, बांगड़नगर, ब्यावर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम. एल. पाटोदी, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री जमील जई, उप-राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07 / 08 / 2018

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 81 / 12-13 / वेट / अजमेर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में यह तर्क दिया गया है कि राजस्थान विनिवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (जिसे आगे 'योजना-2003' कहा जायेगा) के तहत देय 75 प्रतिशत सब्सिडी में से 25 प्रतिशत की सीमा तक की सब्सिडी दी गई, जो अविधिक है एवं इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लंबित होने से अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा है वह उचित नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी व्यवहारी ने कथन किया है कि निर्धारण अधिकारी ने उक्त अवधि में व्यवहारी द्वारा माईनिंग इक्यूपमेंट के लिये खरीद किये गये टायर एवं ट्यूब पर आई.टी.सी. को अस्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये

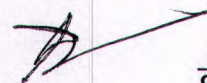
लगातार.....2

31

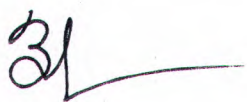
जाने में विधिक भूल की गयी है क्योंकि सीमेंट के उत्पादन के लिये उक्त माल को माईनिंग इक्वूपमेंट के रूप में काम में लिया जाता है एवं माईनिंग इक्वूपमेंट की असेसरी केपिटल गुड्स में सम्मिलित होने से उस पर आई.टी.सी. देय है, अतः अपीलीय आदेश को इस बिन्दु पर निरस्त करते हुए आई.टी.सी स्वीकार करने के आदेश देने का अनुरोध किया।

5. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.06.2013 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि टायर एवं ट्यूब की खरीद को छोड़कर अन्य माल सबमर्सिबल पम्प, एमरी टेपरोल, बल्ब, हेडलाईट असेम्बली, लाईट फिटिंग, हैलोजन आदि वस्तुओं को केपिटल गुड्स नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह माल प्लांट एवं मशीनरी के रूप में उपयोग नहीं होने से वह केपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं होने से उस पर आई.टी.सी देय नहीं है।

6. उपरोक्त तथ्यों के अधीन अपीलार्थी व्यवहारी एवं राजस्व की अपीलों पर विचार किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन उचित नहीं है कि माईनिंग इक्वूपमेंट के रूप में टायर एवं ट्यूब पर आई.टी.सी. क्लेम दिया जाना विधि अनुसार उचित है क्योंकि माईनिंग कार्यों को निर्माण कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है, अतः प्रयुक्त होने वाला माल केपिटल गुड्स की श्रेणी में सम्मिलित योग्य है। प्रकरण में केपिटल गुड्स के सम्बन्ध में विवादित बिन्दु पर स्वयं व्यवहारी के प्रकरण में ही कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 750/2012/अजमेर में निर्णय किया जा चुका है। फलतः स्वयं अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में पारित निर्णय के आलोक में टायर एवं ट्यूब पर आई.टी.सी. देने की व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अन्य वर्णित विवादित आईटम को केपिटल गुड्स मानने सम्बन्धी अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है, फलतः इस बिन्दु पर व्यवहारी एवं राजस्व की अपीलें खारिज की जाती हैं। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से योजना-2003 के तहत जो 75 प्रतिशत कर की सीमा तक सब्सिडी दिये जाने का तर्क दिया गया है, इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के मदेनजर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो उचित होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं उल्लेख किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने की पात्रता नहीं होने का निर्णय किया जा चुका है, अतः यह बिन्दु अब सारहीन हो जाने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।



लगातार.....3



—: 3 :- 1-2. अपील संख्या — 1614/2013 व 1843/2013/अजमेर.

7. उक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी एवं अपीलार्थी राजस्व की दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य